



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267496
CG-DL-E-08112025-267496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 2025/कार्तिक 17, 1947

No. 331]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 2025/KARTIKA 17, 1947

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2025

फा. सं. 37/1/(VI)/2025/टी.— राष्ट्रपति का दिनांक 8 नवम्बर, 2025 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करती हूं।

8 नवम्बर, 2025

द्रौपदी मुर्मू,
राष्ट्रपति"

उत्पल कुमार सिंह, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2025

F. No. 37/1/(VI)/2025/T.—The following order by the President dated the 8th November, 2025 is published for general information: -

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 1st December, 2025 at 11.00 A.M.

November 8, 2025

Droupadi Murmu,
PRESIDENT”

UTPAL KUMAR SINGH, Secy. General



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267495
CG-DL-E-08112025-267495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 2025/कार्तिक 17, 1947

No. 330]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 2025/KARTIKA 17, 1947

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2025

फा. सं. एलएफईएस-एलएस11/3/2025-विधायी अनुभाग-आरएसएस.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2025 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

8 नवम्बर, 2025

ह/-
राष्ट्रपति"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2025

F. No. LAFEAS-LS11/3/2025-Legis Sec-RSS.— The following Order by the President dated the 8th November, 2025, is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 1st December, 2025 at 11.00 A.M.

November 8, 2025

Sd/-

PRESIDENT

P. C. MODY, Secy.-General